भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1872
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालयों में एससी/एसटी/ओबीसी की रिक्तियां

1872. एडवोकेट चन्द्र शेखर :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु राज्य-वार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित राज्य-वार और वर्ष-वार कितने न्यायाधीशों की भर्ती की गई है ; और
(ग) इस कमी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : देश के अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तदनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के न्यायाधीशों के पदों की संख्या और उनकी भर्ती का विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं। कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसा करता है।

****